Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Misc. Jalkar Appeal No.-59/2024

Asha Devi & Anr..Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors...Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.04.2025	**आदेश** यह विविध जलकर अपील जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक-217 दिनांक-17.2.2024 द्वारा वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष के लिए मारा कोशी नागरधार जलकर -सह- मखाना महाल की बंदोबस्ती किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-634 दिनांक-15.5.2024 एवं पत्रांक-767 दिनांक-12.3.2025 से जवाब/लिखित बहस दाखिल है। दिनांक-16.4.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का कहना है कि प्रश्नगत जलकर ''मारा कोशी नागरधार -सह- मखाना महाल'' रूपौली प्रखंड के दो पंचायतों (गोरियर पूर्व एवं बसंतपुर) में अवस्थित है। तथा यह कि जिला मत्स्य पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक-217 दिनांक-17.2.2024 द्वारा वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षो के लिए उक्त जलकर की बंदोबस्ती श्रीमती रूना देवी, पति-श्री लक्ष्मी सहनी, ग्राम- गोरियर, प्रखंड-रूपौली के साथ कर दिया गया है। Petitioner का कहना है कि जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बिना आम सूचना के नियमविरूद्ध बंदोबस्ती कर दी गयी है। उनका कहना है कि संगत नियमानुसार जलकर की बन्दोबस्ती स्थानीय पंचायत के मछुआ सदस्यों के साथ ही की जा सकती है। जबकि जिला मत्स्य पदाधिकारी के स्तर से उक्त नियम का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रश्नगत जलकर बन्दोबस्ती आदेश को निरस्त किया जाए। जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णिया का कहना है कि उनके द्वारा बन्दोबस्ती की कार्रवाई बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम एवं संगत प्रावधान के अनुसार की गई है। उनका कहना है कि रूपौली प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों द्वारा बन्दोबस्ती हेतु वांछित कागजात कई बार स्मारित करने के बावजूद जमा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि समिति के निर्वाचित मंत्री श्री भंडारी सिंह उर्फ पहाड़ी मंडल कारावास में थे तथा समिति के अध्यक्ष श्यामसुन्दर महलदार की मृत्यु हो गई थी। वर्णित स्थिति में कार्यालय आदेश ज्ञापांक-08 दिनांक-03.1.2024 द्वारा उक्त समिति को Disqualify (निरर्हित) कर दिया गया। तथा बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा-7(ix) में निहित प्रावधान के अनुसार प्रश्नगत जलकर के बन्दोबस्ती हेतु सीमित डाक की कार्रवाई की गई। कार्यालय पत्रांक-09 दिनांक 03.1.2024 द्वारा प्रखंड रूपौली के सभी मत्स्य जलकरों के अल्पकालीन बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना प्रकाशित किया गया। जिसकी प्रति निबंधित डाक से प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यकारिणी के सभी सदस्यों (अपीलकर्त्ता - आशा देवी एवं शशिभूषण ठाकुर सहित) को भेजा गया। तदोपरान्त निर्धारित तिथि/समय पर	

28.4.2025

सीमित डाक की कार्रवाई विधिवत रूप से की गई। सीमित डाक में अधिकतम बोली वाले श्रीमती रूना देवी, पति-श्री लक्ष्मी सहनी, ग्राम- गोरियर, प्रखंड- रूपौली के साथ जलकर की बन्दोबस्ती की गई है। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के अनुसार जलकर बन्दोबस्ती संबंधित प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति/मछुआ सदस्य के साथ किये जाने का प्रावधान है। जिसका अनुपालन वर्तमान मामले में किया गया है। अतः यह वाद खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि संगत प्रावधानों के अनुसार मत्स्य जलकर की बंदोबस्ती प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति/मछुआ सदस्य के साथ की जानी है। इस मामले में रूपौली प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचित मंत्री के लंबी अवधि तक जेल में रहने तथा निर्वाचित अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने के कारण बंदोबस्ती हेतु सभी कागजात जिला मत्स्य पदाधिकारी, पूर्णिया को उक्त समिति द्वारा यथासमय उपलब्ध नहीं कराया गया। तदनुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-08 दिनांक 03.1.2024 द्वारा उक्त समिति को Disqualify (निरर्हित) करते हुए बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा-7(ix) के तहत सीमित डाक की कार्रवाई की गई। यह स्थापित हो रहा है कि सीमित डाक की आम सूचना निबंधित डाक से प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यकारिणी के सभी सदस्यों (अपीलकर्त्ता - आशा देवी एवं शशिभूषण ठाकुर सहित) को भेजा गया। तदोपरान्त निर्धारित तिथि/समय पर सीमित डाक की कार्रवाई की गई। तथा सीमित डाक में अधिकतम बोली वाले श्रीमती रूना देवी, पति-श्री लक्ष्मी सहनी, ग्राम- गोरियर, प्रखंड- रूपौली के साथ जलकर की बन्दोबस्ती की गई है। जो रूपौली मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मछुआ सदस्य/कार्यकारिणी सदस्य है।

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा-7(ix) का उद्धरण निम्न है :- "प्रखंड में निरर्हित समितियों के हिस्से के जलकरों की बन्दोबस्ती उन समितियों के अव्यतिक्रमी मछुआ सदस्यों, जो जलकर के प्रखंड के निवासी हों, के बीच ही सीमित डाक द्वारा पाँच वर्षो के लिए की जायगी। परन्तु एक व्यक्ति के साथ एक जलकर की ही बन्दोबस्ती की जायेगी।" इस मामले में उपरोक्त नियम के उल्लंघन का कोई प्रमाण उपस्थापित नहीं किया गया है। उपस्थापित साक्ष्यों एवं कागजातों के आधार पर नियमानुसार बन्दोबस्ती की स्थिति दृष्टिगत है। Petitioner द्वारा वाद पत्र में नियम-विरूद्ध बन्दोबस्ती के किये जा रहे दावे (विशेषकर बन्दोबस्त-दार रूना देवी के संदर्भ में जलकर बन्दोबस्ती लेने की अर्हता धारित नहीं करने के आरोप) को प्रमाणित करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णिया के स्तर से किये गये प्रश्नगत बन्दोबस्ती की कार्रवाई संगत प्रावधान के अनुसार की गई है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजें।

Raje K.
28/4/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

Raje K.
28/4/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया